केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शि.अ./प.र./2016 **21 अप्रैल, 2016**

परिपत्र सं. शैक्षणिक 14/2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू निषेध दिवस, 2016

दिनांक 31 मई 2016 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन और तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ढांचागत सम्मेलन में, इसके सचिवालय ने देशों को **तम्बाकू उत्पादों के सुसपष्ट (मानकीकृत) पैकेजिंग के लिए तैयार रहने हेतु कहा है।**

विद्यालयों, जिनके पास **अपने विद्यार्थियों, कार्मिकों और समुदाय,** के मध्य तम्बाकू प्रयोग के नकारात्मक प्रभाव पर विशेष बल देने और जागरूकता पैदा करने का मुख्य दायित्व है, के सभी पहलों को समर्थित करने के लिए के.मा.शि.बो. बचनवद्ध है। बोर्ड सभी विद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA 2003 की धारा-6 जो किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद को बेचने से प्रतिबंधित करता है, को संस्थान के बाहर एक प्रदर्शित बोर्ड के द्वारा प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

विविध प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रभावकारी जागरूकता पैदा करना संभव है, जिसमें विद्यार्थी यथा-स्थल पर विविध माध्यमों से अपने ज्ञान, अवलोकन एवं सर्जनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। ये विद्यार्थियों, सहकर्मियों और समुदाय में तम्बाकू के प्रयोग के खतरे को मिटाने में बहुत गहन सह-साधन बन सकते हैं।

प्रतियोगिताएँ: (विवरण के लिए संलग्नक 01 देखें)

- पोस्टर निर्माण: विषयवस्तु: तम्बाकू: गैर संचारी बीमारियों के लिए एक मुख्य जोखिम कारक
- निबंध लेखन: विषय वस्तु: तम्बाकू किसी भी रूप में अथवा छद्मवेश में मार सकता है।
- रिपोर्ट: विषय वस्तु: मीडिया (माध्यम) और तम्बाकू: वै कैसे संदेश प्रचारित करते हैं! इस पदार्थ के नुकसानदायक प्रभावों के दस्तावेज तैयार करें, कैसे तम्बाकू का व्यापार मीडिया को प्रभावित करता है और कैसे मीडिया सभी आयु वर्गों के द्वारा तम्बाकू के प्रयोग की आदत का विरोध कर सकता है।

- एक पॉवर प्वाइंट विषय वस्तु: **तम्बाकू: गैर संचारी बीमारियों के लिए एक मुख्य जोखिम का कारक।** विद्यार्थी 2-3 फोटो प्रति यह प्रदर्शित करने के लिए भेज सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पॉवर प्वाइंट का अपने विद्यालय के सार्थियों/समुदाय के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किया।

प्रविष्टियां प्रस्तुतीकरण का तरीका:

प्रत्येक प्रतियोगिता से केवल 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां, संलग्नक 2 के प्रविष्टि फार्म में पूर्ण रूप से भरकर एवं सत्यापित करके, निम्न के साथ भेजनी हैं:

- टाइप की गई अथवा सुस्पष्ट रूप से हस्तलिखित **निबन्ध, पोस्टर,** हार्ड प्रतिलिपि के रूप में।
- विद्यालय के नाम की लगी हुई लेवल के साथ अलग से वी.सी.डी. में **पॉवर प्वांइट्स** और उनकी हार्ड प्रतियां।
- समुदाय के साथ हुए वार्तालाप की 2-3 फोटोप्रतियां **रिपोर्ट** के साथ, हार्ड प्रतियों के रूप **में 15 मई 2016** तक या उससे पूर्व में निम्न को भेज दें:

सुश्री पी. राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी के.मा.शि.बो.,
शिक्षा सदन, चतुर्थ तल, 17, राऊज एवेन्यू इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, नई दिल्ली-110002

- प्रत्येक परिणाम से 40 शीर्ष प्रविष्टियों का चयन विशिष्ट विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा।
- परिणाम शैक्षणिक वेबसाइट www.cbseacademic.in पर अपलोड किए जाएंगे।
- सभी विजेताओं को **योग्यताक्रम का प्रमाण पत्र प्रदान** किया जाएगा

कृपया नोट करे: विशिष्ट तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियाँ, सूचना/जानकारी उपलब्ध न होने पर या विद्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित न होने पर इन्हें अवैध माना जाएगा।

रिपोर्ट, फोटो प्रतियाँ (शीर्षक) सहित के.मा.शि.बो. की शैक्षणिक पत्रिका CENBOSEC में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जा सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 011-23231248 अथवा पी. राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी (शैक्षणिक) से rajeswary.cbse01@gmail.com पर संपर्क करें।

सुगंध शर्मा

(सुगंध शर्मा)
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक